


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::


इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.06.2018 द्वारा व्याख्याता स्कूल शिक्षा अंग्रेजी एवं संस्कृत के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे, में तालिका के नीचे निर्देशों में अंकित किया गया था कि " प्रतिबंधित जिले से सामान्य जिले में स्थानान्तरण होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। "

उक्त आदेश में से इस निर्देश को विलोपित किया जाता है। शेष यथावत।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 20/6/18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा10 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, सरकार जयपुर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,
5. संबंधित प्रधानाचार्य
6. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर